न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 18/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. प्रहलाद सैनी पुत्र गजानन्द सैनी, निवासी 140 गांव लोहारवाड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)– 332708। ऋधी/बंधनकर्त्ता
   हाल पताः– खसरा नम्बर 275, गांव लोहारवाड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
2. गजानन्द पुत्र श्योनाथ सह ऋणी
   पताः– निवासी 140, गांव लोहारवाड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332708
3. शीला देवी पत्नी प्रहलाद सैनी, निवासी 206, मालियों की ढ़ाणी, गांव लोहारवाड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर – 332708 सह ऋणी
4. जगदीश सैनी पुत्र गजानन्द सैनी, निवासी मालियों की ढ़ाणी, गांव लोहारवाड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर– 332708। सह ऋणी
5. राजेश कुमार पुत्र मातादीन, निवासी 254 सांधी मौहल्ला, गांव कांवट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332708। जमानती

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 13 मार्च, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **प्रहलाद सैनी, गजानन्द सैनी, शीला देवी, जगदीश सैनी, राजेश कुमार** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **खसरा नम्बर 275, गांव लोहारवाड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज., जिसकी माप 300 वर्गमीटर मालिकाना हक प्रहलाद सैनी का है, जिसके पूर्व में रास्ता, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में झाबरमल के घर के बाद गली है,** को बंधक रखकर **6,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **छः लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 04.05.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 04.05.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **प्रहलाद सैनी, गजानन्द सैनी, शीला देवी, जगदीश सैनी, राजेश कुमार** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **खसरा नम्बर 275, गांव लोहारवाड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज., जिसकी माप 300 वर्गमीटर मालिकाना हक प्रहलाद सैनी का है, जिसके पूर्व में रास्ता, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में झाबरमल के घर के बाद गली है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांक: **13 मार्च, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner